सं. I-17011/2(1)/2009-एच.III

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(आवास (हाऊसिंग)-III अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक:- 14 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **आवास निर्माण अग्रिम के संबंध में ब्याज सहित अग्रिम/छठे वेतन आयोग की सिफारिश-पिछले मामलों में बढ़ोत्तरी - के संबंध में।**

******

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 27 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.I-17011/11(4)/2008-एच.III की ओर ध्यानाकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से उपरोक्त आदेशों को 1 जनवरी,2006 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, विगत मामलों में, जिनमें आवास निर्माण अग्रिम 1-1-2006 को या उसके बाद लेकिन 27-11-2008 से पूर्व स्वीकृत किया गया था, निम्नलिखित शर्तों के पालन के अध्यधीन, पूर्व में स्वीकृत राशि और पे बैंड में वेतन के आधार पर निर्धारित नई राशि के बीच अंतर के बराबर राशि प्रदान की जाए:-

(क) सरकारी सेवक ने पूर्व आदेशों के अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण की पूरी राशि आहरित न की हो और/अथवा जिन मामलो में निर्माण कार्य पूरा न हुआ हो/आवास/फ्लैट के अधिग्रहण की पूरी कीमत अभी चुकाई जानी है।

(ख) निर्माण की अनुमोदित योजना से कोई विचलन नहीं होगा जिसके आधार पर, मूल आवास निर्माण अग्रिम प्रदान किया गया था। तथापि, विनिर्धारित अधिकतम सीमाओं के अध्यधीन, अतिरिक्त राशि निर्धारित करने के लिए मूल योजना की संशोधित कीमत पर विचार किया जा सकता है।

(ग) पूरक बंधन विलेख, निजी बंधपत्र और प्रतिभूतियां, ऋण लेने वाले के व्यय पर आहरित और निष्पादित किए जाएंगे।

(घ) वास्तविक पात्रता इस मंत्रालय में दिनांक 17.10.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. I-17015/16/92--एच.III में विनिर्धारित सूत्र के आधार पर परिगणित चुकौती क्षमता तक सीमित रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी सेवक से सेवानिवृत्ति से पूर्व ब्याज सहित पूरी राशि वसूल कर ली गई है।

(ङ) ब्याज दर:- ऐसे मामलों में ब्याज दर, कुल स्वीकृत राशि अर्थात 1-1-2006 को या उसके बाद लेकिन 27-11-2008 से पूर्व स्वीकृत कुल राशि, और वर्धित स्वीकृत राशि पर प्रयोज्य स्लैब के अनुसार प्रभारित किया जाएगा। तथापि, नई ब्याज दर, उस समग्र राशि पर प्रभारित की जाएगी जो अधिक आवास निर्माण अग्रिम अर्थात पहले से स्वीकृत आवास निर्माण अग्रिम का न चुकाया गया हिस्सा जमा इस प्रकार प्रदत्त अधिक राशि, पर बकाया होगी। अत: आवास निर्माण अग्रिम की पुरानी दरों पर पूर्व में चुकाई गई राशि पर नए ब्याज प्रभार नहीं लगेंगे।

2. तथापि, नई घर/फ्लैट के निर्माण/ खरीद के प्रयोजनार्थ 7.50 लाख रूपए और 1.80 लाख रूपए की अधिकतम अनुमेय राशि की मौजूदा सीमा अपरिवर्तित रहेगी। दूसरे शब्दों में, पूर्व में स्वीकृत आवास निर्माण अग्रिम और इन आदेशों के तहत प्रदत्त राशि में बढ़ोत्तरी का कुल योग उल्लिखित सीमाओं से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी मामले में, सरकारी सेवक को एकाधिक बढ़ोत्तरी स्वीकार्य नहीं है।

3. अधिक आवास निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन, इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से छह माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4. जिन मंत्रालयों/विभागों के शाखा कार्यालय दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं,जैसे रक्षा मंत्रालय आदि के मामले में है, उन्हें इन आदेशों का आधुनिक संचार साधनों जैसे प्रतिकृति, ई-मेल, वैबसाईट आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने का परामर्श दिया जाता है ताकि इन आदेशों के विलंब से प्राप्त होने के आधार पर किसी अभ्यावेदन के लिए छह माह की समय -सीमा को आगे बढ़ाने का अवसर न हो।

(वी. के. गुप्ता)
उप वित्तीय सलाहकार

सेवा में,

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
(2) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और दमन व द्वीव।

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री/निजी सचिव, राज्य मंत्री (आई / सी) (आवास और शहरी गरीबी उपशमन)
2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)/निजी सचिव, अपर सचिव (शहरी विकास)/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन)
3. शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग।
4. सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय।
5. शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
6. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, भारत, नई दिल्ली।
7. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को उनकी आई.डी. सं. 12(1)/ई.॥ए/2009 दिनांक 17-06-2010 के संदर्भ में।
8. निदेशक, जेसीए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
9. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शहरी विकास मंत्रालय को शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर आदेश को अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

(जितेंद्र सिंह)

अनुभाग अधिकारी (एच-III)